रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-04012024-251158 CG-DL-E-04012024-251158

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 61]

No. 61]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 4, 2024/पौष 14, 1945 NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 4, 2024/PAUSHA 14, 1945

## वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2024

का.आ. 66(अ).—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (4छ) के उपखंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अनिवासी द्वारा वित्तीय उत्पाद में विनिधान के क्रियाकलाप को पूंजी बाजार मध्यवर्ती द्वारा ऐसे अनिवासी के साथ की गई संविदा के अनुसार अधिसूचित करती है, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की एक इकाई है, जहां धारा 80ठक की उपधारा (1क) में यथानिर्दिष्ट, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र की अपतट बैंककारी इकाई में अनुरक्षित अनिवासी के खाते में ऐसे विनिधान की आय प्राप्त की जाती है।

# स्पष्टीकरण—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए,—

(i) ''पूंजी बाजार मध्यवर्तीं' का वही अर्थ होगा जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (पूंजी बाजार मध्यवर्ती) विनियम, 2021 के विनियम 2 के उपविनियम (1) के खंड (छक) में इसका है ;

124 GI/2024 (1)

- (ii) "वित्तीय उत्पाद" का वही अर्थ होगा जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 (2019 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (घ) में इसका है ;
- (iii) "अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र" का वही अर्थ होगा जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (थ) में इसका है ;
- (iv) "इकाई" का वही अर्थ होगा जो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 2 के खंड (यग) में इसका है।

[अधिसूचना सं. 4/2024 फा. सं. 370142/48/2023-टीपीएल] सौरभ जैन, अवर सचिव [टीपीएल-I]

#### MINISTRY OF FINANCE

## (Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 4th January, 2024

**S.O. 66(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-clause (ii) of clause (4G) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies activity of investment in a financial product by the non-resident, in accordance with a contract with such non-resident entered into by a capital market intermediary, being a Unit of an International Financial Services Centre, where the income from such investment is received in the account of the non-resident maintained with the Offshore Banking Unit of such International Financial Services Centre, as referred to in sub-section (1A) of section 80LA.

### Explanation.—For the purposes of this notification,—

- (i) "capital market intermediary" shall have the meaning as assigned to it in clause (ga) of sub-regulation (1) of regulation 2 of the International Financial Services Centres Authority (Capital Market Intermediaries) Regulations, 2021;
- (ii) "financial product" shall have the meaning as assigned to it in sub-clause (d) of sub-section (1) of section 3 of International Financial Services Centres Authority Act, 2019 (50 of 2019);
- (iii) "International Financial Services Centre" shall have the same meaning as assigned to it in clause (q) of section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005);
- (iv) "Unit" shall have the same meaning as assigned to it in clause (zc) of section 2 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005).

[Notification No. 04/2024 F. No. 370142/48/2023-TPL] SOURABH JAIN, Under Secy. (TPL-I)